न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 343/2025

(GCMS: **2025/452**)

राज्य सरकार जरिये कविता, **जिला रसद अधिकारी**, श्रीगंगानगर

बनाम

सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 98575–03925

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सायर कुमार के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है** कि :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 श्रीगंगानगर–सूरतगढ़ हाईवे पर 17 एसटीबी पालीवाला में सूरतगढ़ की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 को रूकवाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर होना बताया, जिसने **स्वयं को उक्त वाहन का चालक होना बताया।** श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख की उपस्थिति में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 की जांच की गई। श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख ने बताया कि उक्त वाहन में प्लास्टिक ड्रमों में डीजल भरा हुआ है। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त 13 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। मौके पर 13 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियों में कुल 2720 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। प्रत्येक बड़े ड्रम की क्षमता ... एवं प्रत्येक प्लास्टिक कैनी की क्षमता 30 लीटर पाई गई। ... श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख ने बताया कि उसके द्वारा ... पेट्रोल पंप से डीजल ... पर क्रय किया जाता है एवं मांग के अनुसार उपभोक्ताओं में विक्रय किया जाता है। मौके पर श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भण्डारण/बेचान/परिवहन संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/ परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में परिवहन के कारण जरिये फर्द जब्ती वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनियां मय 2720 लीटर डीजल को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी। मौके पर तैयार किये गये सैम्पल में से सैम्पल ए को एफएसएल जांच हेतु भेजा जायेगा। फर्द सैम्पलिंग तैयार की गयी। जब्त डीजल की ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 2717.750 लीटर डीजल(सैम्पलिंग के बाद शेष) मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी तथा प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 श्री श्याम इन्टरप्राईजेज, नायर पेट्रोल पम्प, 17 एसटीबी, पालीवाला पैट्रोल पम्प के मैनेजर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बावरी उम्र 30 साल की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 2717.750 लीटर डीजल मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी को मौके पर ही इस बात से अवगत करवाया गया था कि उनके द्वारा जब्तशुदा डीजल शायर कुमार व मुन्ना पुत्र रामुराम ने संयुक्त रूप से खरीदा है, जिसके बिल भी खरीदशुदा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा जब्तशुदा डीजल मां शाकम्बरी फ्यूल्स, उस्मानखेड़ा, तहसील अबोहर पंजा[illegible] किया हुआ है एवं **जिसका बिल भी अप्रार्थीगण** के पास मौके पर थे। जिला रसद अधिकारी द्वारा ना तो बिल का अवलोकन किया गया एवं ना ही अप्रार्थी के साथ बैठे मुन्ना पुत्र रामुराम की बात सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा जो वाहन में डीजल खरीद किया हुआ है, वह दो व्यक्तियों का है, जिसका वर्णन भी फर्द जब्ती में जिला रसद अधिकारी द्वारा किया गाय है **जो 2500 लीटर के बिल सहित है परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा उन पर दबाव बनाते हुए 2720 लीटर डीजल होने के कथन का हस्ताक्षर केवल मात्र अप्रार्थी से करवाये है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके पर सीज करते समय ना तो अप्रार्थी को सीजर प्रति दी गई है और ना ही सैम्पलिंग की एक बोतल दी गई हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय व भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल का परिवहन करने में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया हैं। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी अकेले द्वारा डीजल खरीद नहीं किया गया है, बल्कि दो व्यक्तियों द्वारा 1200 व 1300 लीटर कुल 2500 लीटर खरीद किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जब दो व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न बिलों से डीजल खरीद किया गया हो और साथ में ही परिवहन कर रहे हो तो उन्हें एक यूनिट नहीं बल्कि दो यूनिट माना जायेगा।** इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा केवल 1300 लीटर डीजल परिवहन किया गया है एवं मुन्नालाल द्वारा 1200 लीटर डीजल परिवहन किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पेशे से किसान है एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से डीजल परिवहन कर ला रहे थे। अप्रार्थीगण की खेतवर्गीय जमीन व ट्यूबवैल है, जिसको संचालित करने के लिए डीजल की आवश्यकता रहती है, इसलिए अप्रार्थीगण नियमानुसार कुल 2500 लीटर डीजल परिवहन कर लाये थे। अप्रार्थीगण को खेती व ट्यबवैल के लिए डीजल की हर समय आवश्यकता रहती है एवं पंजाब से डीजल सस्ता होने के कारण अप्रार्थीगण पंजाब से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए डीजल खरीदकर लाये थे। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण के वाहन आरजे 13 जीसी 4733 एवं अ... के डीजल मात्रा 2500 लीटर को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्र... ने कथन किया कि अप्रार्थी ने मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये थे और अप्रार्थीगण मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 343/2025
सरकार बनाम सायर कुमार
(GCMS No. 2025/452)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को **विफल करने** हेतु **After Thought बिल प्रस्तुत किये गये है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा सायर कुमार से ही डीजल जब्त किया गया था और चालक के साथ मुन्ना पुत्र रामुराम ने उपस्थित था, जिसने सुपुर्दगीनामा पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। वक्त जब्ती मुन्ना पुत्र रामूराम ने स्वयं को कोई डीजल होना नहीं बताया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु जब्तशुदा डीजल को दो व्यक्तियों का होना बता रहे है और अप्रार्थी सायर अकेले से ही 2720 लीटर जब्त किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जब्तशुदा 2720 डीजल स्वयं का होना बताया था जबकि अप्रार्थी ने ग्राम 11 बीएलडी की जमाबन्दी पेश की है, जिसमें सायर कुमार का नाम न होकर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित है इसीप्रकार अप्रार्थी ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी बिजली का बिल एवं ट्रैक्टर की आरसी की प्रति भी अन्य व्यक्ति के नाम की पेश की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती के समय डीजल अप्रार्थी सायर कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार कर, फर्द मौक मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे, अब अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु पेश किये है। जिससे **स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीजल का विक्रय के कार्य में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल को राजसात किया जावे।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पेशे से कृषक है तो उसके द्वारा जांच के वक्त या उसके पश्चात ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही बहस के समय **अप्रार्थी सायर कुमार ने स्वयं का कृषक होने का दस्तावेज पेश** किया है, जिससे पता चले अप्रार्थी पेशे से कृषक है और वह अपने कृषि कार्य के लिए उक्त डीजल परिवहन कर रहा था। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 2717.750 लीटर डीजल को राजसात किया जावे।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज बिलों की प्रतियों के रूप में प्रस्तुत है, का भी ध्यानपूर्व अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रवर्तन स्टाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 श्रीगंगानगर–सूरतगढ़ हाईवे पर 17 एसटीबी पालीवाला में सूरतगढ़ की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 को रूकवाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर होना बताया, जिसने स्वयं को उक्त वाहन का चालक होना बताया। श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख की उपस्थिति में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 की जांच की गई। श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख ने बताया कि उक्त वाहन में प्लास्टिक ड्रमों में डीजल भरा हुआ है। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त 13 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। मौके पर 13 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियों में कुल 2720 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। प्रत्येक बड़े ड्रम की क्षमता 200 लीटर एवं प्रत्येक प्लास्टिक कैनी की क्षमता 30 लीटर पायी गयी। पूछताछ करने पर श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से डीजल सस्ते दाम पर क्रय किया जाता है एवं मांग के अनुसार उपभोक्ताओं में विक्रय किया जाता है। मौके पर श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के भण्डारण / बेचान / परिवहन संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र / परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में परिवहन के कारण जरिये फर्द जब्ती वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनियां मय 2720 लीटर डीजल को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी। मौके पर तैयार किये गये सैम्पल में से सैम्पल ए को एफएसएल जांच हेतु भेजा जायेगा। फर्द सैम्पलिंग तैयार की गयी। जब्त डीजल की ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण सैम्पलिंग के बाद शेष 2717.750 लीटर डीजल मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी तथा प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 श्री श्याम इन्टरप्राईजेज, नायर पेट्रोल पम्प, 17 एसटीबी, प[illegible]ोल पम्प के मैनेजर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कृ[illegible] साल की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीना[illegible]। इस प्रकार अप्रार्थी सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र [illegible] साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की** सेक्शन **03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन के कारण** , जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 2717.750 लीटर डीजल मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है, इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी सायर कुमार पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन** किये गये **किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का** भार **कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी सायर कुमार पुत्र श्री रामरख से सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 2717.750 लीटर डीजल, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर [illegible] उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04** का उल्लंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त उच्च वेग **डीजल** (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provesion of ths order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling product**.
>
> 3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice**.
>
> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में उक्त जब्त [illegible] वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–4773 एवं 2717.750 [illegible] इंकार नहीं किया है बल्कि उक्त पंजाब पैट्रोल [illegible] द्वारा एक साथ 2500 लीटर डीजल लाना स्वीकार किया है और दो व्यक्तियों सायर कुमार ए[illegible]न्नालाल का बिल पेश किये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत **उक्त दोनों बिलों का अवलोकन किया गया तो**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल जब्तशुदा डीजल के नही है, चूंकि बिल नम्बर 99009 दिनांक 12.11.2025 को सायर के नाम से जारी किया गया है, जो 14.76 लीटर का 88.03/- रूपये के हिसाब से 1300/- रूपये अंकित है और बिल नम्बर 99008 दिनांक 12.11.2025 को मुन्ना लाल के नाम से जारी किया गया है, जो 13.63 लीटर का 88.03 के हिसाब से 1200/- रूपये अंकित है। इसप्रकार अप्रार्थी ने न्यायालय में स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है और मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु जानबूझकर झूठे बिल एवं न्यायालय को भ्रम करने के कारण पेश किये गये है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल 2500 लीटर डीजल के न होकर राशि 2500/-(दो हजार पांच सौ मात्र) रूपये के है, जो किसी भी प्रकार से इस प्रकरण से सम्बन्धित न होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी से जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सैम्पलिंग के पश्चात 2717.750 लीटर डीजल जब्त किया गया है।

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द जब्ती के अनुसार सायर कुमार से 2717.750 लीटर डीजल जब्त किया गया है और उसके पास उक्त जब्तशुदा डीजल के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/बिल/दस्तावेज नही है जिसके आधार पर डीजल को अपने कब्जे में रख सके और परिवहन कर सके। अप्रार्थी सायर कुमार पुत्र रामरख का इतनी बडी मात्रा में डीजल को बिना बिलों के क्रय करके, परिवहन करना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल व पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 राजसात किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का उल्लंघन करने एवं फर्जी/झूठे और गलत बिल प्रस्तुत करने के कारण, जिला रसद

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13/जीसी–4773 व 2717.750 लीटर डीजल(सैम्पलिंग के बाद शेष) मय 13 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6क के परन्तुक के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में **वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश संख्या 01, श्रीगंगानगर की दाण्डिक अपील संख्या 12/2022, अनवान् कृष्ण कुमार बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 10.07.2023 एवं अपील संख्या 07/2022 अनवान पवन सोनी बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर, निर्णय दिनांक 25.08.2022 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एसबी क्रिमिनल पैटीशन संख्या 1405/2022 अनवान् नीतू सोनी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.05.2023 में भी ऐसा ही मत दिया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **6क. आवश्यक** वस्तुओं **का अधिहरण–**
>
> ....
>
> **[परन्तुक यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।]**

चुंकि उक्त वाहन संख्या आरजे 13/जीसी–4773 का अनुमानित बाजार **भाव 8.80/– लाख रूपये** है। **इसलिए** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के परन्तु एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार वाहन पर **8,00,000/– रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 343 / 2025
सरकार बनाम सायर कुमार
(GCMS No. 2025/452)

को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छिजत होने की संभावना होती है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 2717.750 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2717.750 लीटर डीजल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अनुसार डीजल कीमत पर 26 प्रतिशत की दर से वैट, 30 प्रतिशत की दर से शास्ति एवं 1.75 /– रूपये प्रति लीटर सैस देय बनता है। चूंकि उक्त प्रकरण में 2717.750 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–4773 राजसात करने के आदेश दिये गये है और वाहन पर 8,00,000 /– रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। वैट अधिनियम के तहत कार्रवाई करने एवं वैट वसूली करने के लिए सम्बन्धित विभाग स्वयं सक्षम है अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें। वैट अधिनियम की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। जिला रसद अधिकारी एवं वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर आपस मे समन्वय रखें। पत्रावली बाद तरतीब त[illegible]ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को मेर[illegible]खाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर